

कार्यालय:-अपर सत्र न्यायाधीश/प्रभारी अधिकारी नजारात  
अनुविभाग सोनकच्छ जिला देवास म.प्र.

जा.क्र 401 /2016

सोनकच्छ दिनांक 07.11.2016.....

// घोष विक्रय विज्ञापित //

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि कार्यालय तहसील न्यायालय देवास के मालखाना अनुभाग में रखी मोटर सायकल/मोपेड, एवं सायकल (दो पहिया वाहन) कुल तीन, एक कम्पेसर मशीन की मोटर, एक मोटर, एक जोटर, एक थ्रेसर मशीन, एक फ्रीज, विद्युत तार, स्टार्टर, मेन स्वीच, टैप-रिकार्डर, किसान पाईप, पी.वी.सी. पाईप डेढ़ इंची व्यास का की "जहां पर है जिस स्थिति में है" घोष विक्रय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोनकच्छ जिला देवास की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्य समिति द्वारा दिनांक 25.11.2016 को दोपहर 2:00 बजे किया जाना है। अतः जो कोई भी उक्त घोष विक्रय में उपस्थित होकर घोष विक्रय में भाग लेना चाहता है। वह निम्नलिखित शर्तों के अधीन नीलामी में भाग ले सकता है।

01. नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक बोलीदार को नीलामी के पूर्व 10,000/- रुपये अमानत राशि के रूप में रकम जमा करना होगा। नीलामी समाप्त होने के पश्चात सकल बोलीदार को छोड़कर शेष की जमा राशि वापस कर दी जावेगी।
02. अमानत राशि अधिम रूप से कार्यालय की नजारात शाखा में दोपहर 1:00 बजे तक ही जमा की जावेगी।
03. नीलामी समाप्त होने पर अंतिम बोली लगाने वाले व्यक्ति को बोली की आधी राशि तत्काल जमा करना होगी, तथा नीलामी के अनुमोदन उपरान्त एक सप्ताह के भीतर शेष राशि नजारात शाखा में जमा कर वाहन को उठाना होगा। निवेद समयावधि में राशि जमा नहीं करने की दशा में जमा की गई राशि राजस्व कर ली जावेगी।

04. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्याय घोष विक्रय तहसील न्यायालय सौनकच्छ को किसी बोली अथवा संपूर्ण सौचानिकों को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।
05. घोष विक्रय के संबंध में किसी भी दिवस पर होने विषय का अधिकार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष घोष विक्रय समिति तहसील न्यायालय सौनकच्छ को होगा, जो सर्वमान्य होगा।
06. बोली स्वीकृत होने के पश्चात उक्त संबंध में उदायी शर्तों किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
07. खरीदार स्वयं अपने व्यय पर वाहनों को उठावेगा, इस हेतु कार्यालय द्वारा कोई व्यय नहीं किया जावेगा।
08. उपरोक्त वाहन तहसील न्यायालय भवन सौनकच्छ में रखे हुए हैं, इच्छुक कोता नीलानी के पुर्व कार्यालय में समय में किसी भी कार्य दिवस में वाहनों का आलोकन कर सकते हैं।
09. उपरोक्त वाहन की संख्या घट-बढ़ सकती है।

नोट—

वाहनों का विस्तृत विवरण एवं अपरोक्त मुख्य म.प्र उच्च न्यायालय की वेबसाइट [WWW.mphe.gov.in](http://WWW.mphe.gov.in) पर एवं कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास तहसील न्यायालय भवन सौनकच्छ के सूचना पटल पर देखा जा सकता है।


  
(ए. पति)


अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/  
अध्यक्ष घोष विक्रय समिति  
तहसील न्यायालय सौनकच्छ  
जिला देवास म.प्र.


मुल्यांकन किये जाने वाले मुद्देमाल की सूची //

अनु. क्र.	माल	मात्रा	अनुमानित अपकेर मुख्य हेतु दर
1	विद्युत तार बिना नंबर के		रु. 40/- प्रति किलो
2	स्टार्टर बिना नंबर के	20	रु. 5/- प्रति किलो
3	मेन स्वीच बिना नंबर के	5	
4	टैप-रिकार्डर बिना नंबर की	3	
5	किस्मान पाईप बिना नंबर के (फाली सदल)		रु. 8/- प्रति किलो
6	पी.वी.सी. पाईप डेड इची व्यास का (नीला)		रु. 18/- प्रति मीटर

अनु.	मुद्देमाल नं.	माल का प्रकार व मात्रा	
1	400 / 1985	एक मेन स्वीच	रु. 5/- प्रति किलो
2	433 / 1985	एक मेन स्वीच	
3	85 / 1985	एक मेन स्वीच	
4	19 / 1987	एक बोर्ड पर एक मेन स्वीच व एक स्टार्टर	
5	169 / 1989	एक स्टार्टर	
6	265 / 1991	एक आउट स्विच व एक स्टार्टर	
7	290 / 1991	एक स्टार्टर	
8	291 / 1991	एक स्टार्टर	
9	46 / 2001	एक स्टार्टर	
10	62 / 2002	एक बोर्ड पर तीन बल्बफुट व एक मेन स्विच व एक स्टार्टर	
11	335 / 2002	एक स्टार्टर	
12	53 / 2004	एक स्टार्टर	

  
**उपरोधी**  
 लो.नि.वि. (वि.सां.)  
 उपसंभाग, देवास

  
 उपरोधी उपनिर्देशक,  
 लो.नि.वि. (वि.सां.)

  
**प्रभारी अधिकारी**  
 नगरपालिका विकास विभाग व वास्तुशास्त्र  
 प्रभारी उपनिर्देशक, देवास जिला न्यायालय, ता. देवास (देवास)  
 देवास जिला न्यायालय, देवास (देवास)

// मुख्यिकन किये जाने वाले मुद्रदेमाल की सूची //

अनु.	अप.क.	आप.प्र.क.	मु.नं.	धारा	पदाकारों के नाम	मुद्रदेमाल प्रकार / नंबर	अनुमानित आयकर
1	51/89	309/89	114/90 एक.मौ.सा.	304	शासन पी.एस.नौरासा वि. चंदरसिंह	T.V.S.M.O.V./ 9826	₹. 700/-
2	280/02	500/02	282/02	392, 394	शासन पी.एस. सोनकच्छ वि. जसपाल आदि	एक यामाह मोटर सायकल काले रंग की जिसके इंजन नंबर व चैचिस नंबर खुदसे हुए होने से दर्शित नहीं है एवं प्लेट नंबर पर नंबर जिसके इंजन नंबर व चैचिस नंबर खुदसे हुए होने से दर्शित नहीं है एवं जिसके इंजन नंबर व चैचिस नंबर खुदसे हुए होने से दर्शित नहीं है एवं दर्शित नहीं है।	₹. 1500/-
3	313/13	विद्युत प्र. 434/13	352/13	379, 136	शासन पी.एस. सोनकच्छ वि. अर्जुन आदि	एक एटलस सायकल	₹. 200/-
4	10/06	280/06	113/06	498	शासन पी.एस. नीपलगावा वि. सुरेश कंजर	एक एटलस सायकल	₹. 200/-

// मुख्यिकन किये जाने वाले मुद्रदेमाल की सूची //

5	151/2000	105/2000	39	शासन पी.एस. अखारा वि. अजुलहक	एक कमोशर मशीन की मीटर	₹. 1700/-	
6	इ.क. 7/08	397/08	159/08	403	शासन पी.एस. अखारा वि. नानुराम	एक मोटर एक लोटर एक शसर मशीन	₹. 2100/-
7	2/10	520/10	78/11		आधिकारी विभाग सोनकधछ वि. जमानलाल	एक फीज	₹. 1100/-

महाराष्ट्र  
को.पि.वि. (वि.सं.)  
अवधुत, देवा

महाराष्ट्र  
को.पि.वि. (वि.सं.)  
अवधुत, देवा

प्रभारी अधिकारी  
(नरेश पटेल)  
मालखाना, अखारा विभाग पी.एस. अजुलहक  
महाराष्ट्र को.पि.वि. (वि.सं.)  
अवधुत, देवा

नोट: - खरीद के शरत का अनु 3 पर दशम वादन की  
व्यवस्था नदी की खाता में है

प्रभारी अधिकारी  
महाराष्ट्र को.पि.वि. (वि.सं.)  
अवधुत, देवा